विनोद कुमार सिंह
''पंडित सिंह''
राज्य मंत्री
माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०

एफ–1/2, पंचम तल, बापू भवन
उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष: कार्यालय : 0522-2235342
सी०एच० : 2214785
आवास : 2967159

दिनांक.....................

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0

डा0 मनीष प्रताप सिंह राघव, प्रदेश सचिव, समाजवादी लोहिया वाहिनी, उ0प्र0 के संलग्न पत्र का अवलोकन करें, जो बोर्ड आफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली के हायर सेकण्डरी (दसवीं) के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 के विद्यालयों में कक्षा–11 में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में है।

अतः संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्राप्त
[illegible] 2013
पूर्ति सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

22.07.2013
(विनोद कुमार सिंह)''पंडित सिंह''
राज्य मंत्री
माध्यमिक शिक्षा
उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय :– छात्र को राजकीय इण्टर कालेज टड़ियावां हरदोई में 11वीं कक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध में।

माननीय,

निवेदन है कि प्रार्थी में दिल्ली बोर्ड –बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एजूकेशन दिल्ली से हायर सेकेण्डरी (10वीं) परीक्षा – एस. पी. सिंह (परीक्षा नियंत्रक) द्वारा हस्ताक्षरित/ निर्गत है।संस्था श्री श्यामा सरस्वती सीनियर सेकण्डरी स्कूल, भदेवरा, हरदोई के माध्यम से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है विद्यालय बोर्ड से सम्बद्धता है।

उक्त बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्रदान की है। उक्त दिल्ली बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है व बोर्ड की 10वीं उत्तीर्ण परीक्षाओं को परिषद की11वीं कक्षाओं को प्रवेश की मान्यता भी प्रदान हैं।

मान्यता का विवरण उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 के अध्याय 14 के विनियम 2(29) में दिया गया है।

R.P. Singh
अध्यक्ष
बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली

प्रार्थी ग्राम मझिगवां पोस्ट भदेवरा, हरदोई का निवासी है। प्रार्थी राजकीय इण्टर कालेज टड़ियावा हरदोई में कक्षा 11वीं में प्रवेश चाहता है।

माननीय जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को 11वीं कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य /जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को निर्देशित करने की कृपा करें।

माननीय जी की महान कृपा होगी

प्रार्थी

रामजी पाल

(राम जी पाल)

दिनांक 15/07/2013

प्रदेश सचिव
पूर्व कुलपति - गुरुकुल वृन्दावन मथुरा

मो0 - 09125539610

पत्रांक ए० लो० 167 A-/013 दिनांक 16/07/2013

मुख्य मंत्री कार्यालय

25864 /ओ.एस.डी.(जे.)/सी.एम./2013

167 /2013

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय,

विनम्र निवेदन के साथ प्रार्थना है कि संलग्न पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे

प्रार्थी ने दिल्ली बोर्ड से 2013 में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है प्रार्थी मझिगवा हरदोई का निवासी है प्रार्थी राजकीय इण्टर कालेज में टड़ियावा हरदोई में कक्षा 11वीं में प्रवेश चाहता हैं जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को निर्देषित करने की कृपा करे की छात्र रामजी पाल को जी.आई.सी टड़ियावा हारदोई में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाए।

फोटोप्रति प्रमाणित
R.P. Singh
अध्यक्ष 17/7/13
बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली

सद्भावनाओं सहित!

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरदोई

आपका
(हस्ताक्षर)
(डॉ0 मनीष प्रताप सिंह राघव)

छात्र इनके प्रवेश हेतु
सम्बन्धित को निर्देशित करने
का कष्ट करें
18/7/2013

(जगजीवन प्रसाद)
विशेष कार्याधिकारी
मुख्य मंत्री, उ0 प्र0

मा0 मुलायम सिंह जिन्दाबाद। समाजवादी पार्टी ज़िन्दाबाद मा0 अखिलेश यादव ज़िन्दाबाद।

डॉ0 मनीष प्रताप सिंह राघव

1992

पत्रांक सं.लो--117/2013

दिनांक 19/07/2013

सेवा में,

माननीय शिक्षामंत्री जी
(माध्यमिक शिक्षा)
उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय,

विनम्र निवेदन के साथ प्रार्थना है कि संलग्न पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली के 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को निर्देशित करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने बताया की बोर्ड द्वारा सुरेश पाल सिंह को सत्र 2013 का परीक्षा नियंत्रक अधिकृत किया गया है। जिसके हस्ताक्षरों से अंकसूचि व प्रमाणपत्र निर्गत होंगे जिसकी सूचना भारत सरकार राज्य सरकारों व उत्तर प्रदेश सरकारो आदि का देते हुए समाचार पत्रों में सूचना प्रषित कर दी गई थी।

संलग्न- उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी (10वीं) परीक्षा को अपनी संस्था-माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल के समकक्ष मान्यता प्रदान की है व बोर्ड के 10वीं पास छात्रों को परिषद ने अपने विद्यालयों में प्रवेश की भी अनुमति प्रदान की है।

जिला हरदोई आदि में प्रवेश की कठनाई आई है।

अतः माननीय जी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त बोर्ड के हायर सेकण्डरी (10वीं) पास छात्रो को उत्तर प्रदेश में संचालित परिषद के सभी विद्यालयों में 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को निर्देशित करने की कृपा करें।

सद्भावनाओं सहित!

आपका

(डॉ0 मनीश प्रताप सिंह राघव)

प्राप्त
10/8/13
उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा ...
उत्तर प्रदेश, इलाहा...

प्रेषक,

रवि प्रताप सिंह
चेयरमैन
बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली

क्रमांक बी-एच-एस-ई-दि-मान्यता/प्रशासनिक/197/2013 दिनांक 19/7/2013

सेवा में,

माननीय शिक्षा मंत्री जी
(माध्यमिक शिक्षा)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय– बोर्ड आफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली के 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को निर्देशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली द्वारा 10वीं व 12वीं परीक्षाओं का संचलन किया जाता है। परीक्षाएं सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है, वर्ष 2013 की परीक्षाओ के परीक्षा नियंत्रक सुरेश पाल सिंह (एस. पी. सिंह) है इन्ही के हस्ताक्षर से अंकसुचि/प्रमाण पत्र निर्गत है ये हीं बोर्ड द्वारा अधिकृत है।

उक्त दिल्ली बोर्ड की परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बोर्ड–माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 10वीं व 12वी कक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की है।

उक्त दिल्ली बोर्ड के 10वीं कक्षा उत्तीण छात्रों को परिषद के विद्यालयों में 11वीं कक्षा में प्रवेश की मान्यता प्रदान है।

मान्यता का विवरण उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट ऐक्ट 1921 के अध्याय 14 के विनियम 2 (29) में दिया गया हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त बोर्ड के हायर सेकण्डरी (10वी) पास छात्रों को उत्तर प्रदेश में संचालित सभी विद्यालयों में 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु ,सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को निर्देशित करने की कृपा करें।

सचिव सभी जिला विद्यालयों निरिक्षकों को उक्त बोर्ड के 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को परिषद के विद्यालयों में 11वी कक्षा में प्रवेश देने हेतु सूचना प्रेषित करें ।

माननीय जी की महान कृपा होगी

नोट :– उपरोक्त विषय सम्बन्धित उक्त कार्यवाही की एक प्रति बोर्ड के केन्द्रीय सूचना एवं प्रान्तीय मुख्यालय डायमण्ड टॉवर उदयगंज लखनऊ को भेजने/देने की कृपा करें।

R. P. Singh
(रवि प्रताप सिंह)
चैयरमैन

8/8/13

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन, दिल्ली

राजपूताना लाल भवन गोपालपुर गांव (तिमारपुर) डाकघर आजादपुर दिल्ली-9

BHSE Delhi 1212-08 Govt. of Delhi Regd No. 275

दिल्ली, बृहस्पतिवार, 5 मार्च 2009 को बोर्ड प्रशासनिक कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय विदिशा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश में खोल दिया जाये. इसी प्रकार दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश में, तीसरा ग्वालियर, मध्यप्रदेश में एवं चौथा इन्दौर मध्यप्रदेश में खोल दिया जाये. यह निर्णय बोर्ड द्वारा 12-12-08 को हुई मीटिंग में पारित प्रस्ताव पर लिया गया.

माननीय चेयरमैन जी द्वारा भी इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस निर्णय के तहत बोर्ड से सम्बद्धता विद्यालयों का संचालन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जायेगा. सम्बद्धता विद्यालयों का निरीक्षण भी क्षेत्रीय एवं जिला समन्वयक द्वारा किया जायेगा.

सम्बद्धता चाहने वाले विद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता क्षेत्रीय कार्यालय से दी जायेगी, और विद्यालय का निरीक्षण क्षेत्रीय उप-कमेटी स्वयं करेगी. इस प्रक्रिया में न तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी का कोई हस्तक्षेप होगा, न ही मध्यप्रदेश शासन से संबंधित किसी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी का.

बोर्ड, भारतीय अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित एवं संचालित है, बोर्ड रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के तहत दिल्ली सरकार सबरजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण, दिल्ली द्वारा रजिस्टर्ड है जिसका रजि. नं. 275 है.

बोर्ड भारत सरकार व्यापार-चिन्ह रजिस्ट्री, नई दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है इसका रजि. नं. 46633 है और एप्लीकेशन नं. 01791977 है.

भारत में स्थापित/संचालित बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित दसवीं/बारहवीं परीक्षाओं को उ. प्र. इण्टरमीडिएट अधिनियम, 1921 के तहत मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है.

अध्याय चौदह में समकक्ष मान्यता उल्लेखित है. अध्याय चौदह के विनियम 2 (29) के अनुसार बोर्ड की परीक्षा मान्यता प्रदान है.

मध्यप्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा भी बोर्ड की परीक्षाओं को समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है.

मान्यता का विवरण ग्राहता/मान्यता समकक्ष/पुस्तिका क्र. स. 216/04 में अंकित है. परख सेवा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समकक्ष मान्यताओं को मानने का अधिकार प्रदान है.

माननीय चेयरमैन के निर्देशानुसार अधिसूचना जारी की जाती है.

मुनेन्द्र कुमार, सचिव (प्रशासनिक).

फोटो 01/8/13 ... सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ... इलाहाबाद

मुलायम सिंह यादव जिन्दाबाद

समाजवादी पार्टी जिन्दाबाद

समाजवादी पार्टी

डा0 अशोक बाजपेयी
राष्ट्रीय महासचिव

आवास– सी 23, बटलर पैलेस, लखनऊ
फोन नं0 : 0522–2207319
केन्द्रीय कार्यालय– कापर–निक्स लेन, नई दिल्ली
मो0 : 9415017429

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश,
(इलाहाबाद)।

आप अवगत ही है कि बोर्ड आफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली की हायर सेकण्डरी (10वीं) परीक्षा को माध्यमिका शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान है और परिषद के विद्यायल में 11वीं कक्षा मे प्रवेश की पात्रता है। दिल्ली बोर्ड की मान्यता का विवरण उत्तर प्रदेश इण्टरमीडियट एक्ट 1921 (2012) के अध्याय 14 के विनियम 2 (29) में दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने दिल्ली बोर्ड की 10वीं परीक्षा की समकक्ष मान्यता को समाप्त कर अपनी वेबसाइट पर पर डाल दिया है। जो नियम के विरूद्ध है। जिससे शिक्षा के विकास एवं विद्यालयों और छात्रों के भविष्य को खतरा बन गया है। श्री सिंह ने दिल्ली बोर्ड की 10वीं समकक्ष मान्यता को उत्तर प्रदेश की 10वों परीक्षा के समकक्ष बनाये रखने हेतु एवं परिषद के 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु एवं गैर मान्यता की सूची को परिषद की वेबसाइट से हटाने हेतु प्रार्थना की है।

अतः मै चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली का नाम गैर मान्यता प्राप्त की सूची से निकाल कर परिषद की वेबसाइट को प्रतिबन्धित सूची से हटाया जाये और मान्यता यथावत बनाये रखने का कष्ट करे।

सम्बन्धित कार्यावाही हेतु तुरन्त रवि प्रताप सिंह चेयरमैन बोर्ड आफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली के केन्द्रीय सूचनार्थ एवं प्रान्तीय मुख्यांल 655 / 21 बी अल्कापुरी (आर0के0 ट्रस्ट) कुर्सी रोड, लखनऊ को अवगत कराये।

भवदीय

(डा0 अशोक वाजपेयी)

प्रतिलिपि
रवि प्रताप सिंह (चेयरमैन)
बोर्ड आफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली,
केन्द्रीय सूचनार्थ एवं प्रान्तीय मुख्यालय– 655 / 21 बी
अल्कापुरी (आर0के0 ट्रस्ट) कुर्सी रोड, लखनऊ

कृते सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(डा0 अशोक वाजपेयी)

मुलायम सिंह यादव जिन्दाबाद

समाजवादी पार्टी जिन्दाबा

समाजवादी पार्टी

डा० अशोक बाजपेयी
राष्ट्रीय महासचिव

आवास– सी 23, बटलर पैलेस, लखनऊ
फोन नं० : 0522–2207319
केन्द्रीय कार्यालय– कापर–निक्स लेन, नई दिल्ली
मो० : 9415017429

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार।

कृपया रवि प्रताप सिंह चेयरमैन बोर्ड आफ़ हायर सेकण्डरी एजूकेशन के संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। बोर्ड आफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली की हायर सेकण्डरी (10वीं) परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान है। और परिषद के विद्यालय में 11वीं कक्षा मे प्रवेश की पात्रता है।

दिल्ली बोर्ड की मान्यता का विवरण उत्तर प्रदेश इण्टरमीडियट एक्ट 1921 (2012) के अध्याय 14 के विनियम 2 (29) में दिया गया है।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने दिल्ली बोर्ड की 10वीं परीक्षा की समकक्ष मान्यता को समाप्त कर अपनी व्यवसाईट पर पर डाल दिया है। जिससे शिक्षा के विकास एवं छात्रों के भविष्य को खतरा बन गया है।

श्री सिंह ने दिल्ली बोर्ड की 10वीं समकक्ष मान्यता को उत्तर प्रदेश की 10वीं परीक्षा के समकक्ष बनाये रखने हेतु एवं परिषद के 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु एवं गैर मान्यता की सूची को परिषद की व्यवसाईट से हटाने हेतु प्रार्थना की है।

उपरोक्त बोर्ड के चेयरमैन/चीफ ट्रस्टी (निदेशक) समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। और समाजवादी युवजन सभा उ०प्र० राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारे हमत्वपूर्ण सहयोगी हैं। क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष है। इनकी संस्था व समाज से पार्टी को बहुत बल मिल रहा है।

अतः मेरा आप से अनुरोध है कि बोर्ड आफ हायर एजूकेशन दिल्ली द्वारा संचालित परीक्षाओं की समकक्ष मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की परीक्षाओं के समकक्ष उ०प्र० में यथावत बनाये रखने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को आदेशित करने की कृपा करे।

सादर।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 14/4/13
(डा० अशोक वाजपेयी)

प्रतिलिपि
रवि प्रताप सिंह (चेयरमैन)
बोर्ड आफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली
केन्द्रीय सूचनार्थ एवं प्रान्तीय मुख्यालः– 655/21 बी
अल्कापुरी (आर०के० ट्रस्ट) कुर्सी रोड, लखनऊ

(डा० अशोक वाजपेयी)

प्रेषक

रवि प्रताप सिंह,
चेयरमैन,
बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली।
केन्द्रीय सूचनार्थ एवं प्रान्तीय मुख्यालय 655/21 बी,
अल्कापुरी , कुर्सी रोड, लखनऊ उ0प्र0

गवर्नमेन्ट रजि0: 275 (भारत)

क्रमांक– बी.एच.एस.ई. दि./प्र0/214/013

दिनाँक: 14.02.2013

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

विषयः– <u>बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी ऐजूकेशन दिल्ली की हायर सेकण्डरी (10वीं) परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मिली मान्यता को यथावत बनाये रखने के सम्बन्ध में।</u>

माननीय,

विनम्र प्रार्थना है कि बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी ऐजूकेशन दिल्ली की हायर सेकण्डरी (10वीं) परीक्षा को उत्तर प्रदेश इण्टरमीडियट एक्ट 1921 के अध्याय 14 के विनियम 2 (29) के तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है एवं परिषद की 11 कक्षा में प्रवेश की पात्रता प्रदान है।

मान्यता का विवरण 2012 के इटमीडिएट एजूकेशन एक्ट में दिया गया है। एक्ट की फोटोप्रति संलग्न है।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अपने स्वार्थपूर्ति ना होने के कारण दिल्ली बोर्ड की समकक्ष मान्यता को समाप्त कर दियां है। और अपनी परिषद की व्यवसाईड पर डाल दिया हैं। जो नियम के विरूद्ध है।

दिल्ली बोर्ड के उ0प्र0 में लगभग 300 विद्यालय समबद्धता/संचालित है।

उ0प्र0 में समाजवादी सरकार बनाने हेतु विधान सभा चुनावों में दिल्ली बोर्ड के विद्यालयो ने तन मन धन से साथ दिया था।

आंगामी लोकसभा चुनावों में दिल्ली बोर्ड के सभी विद्यालय प्रबन्धक कमेटी अध्यापक एवं छात्र एवं अभिभावक, लोकसभा चुनावो को जिताने हेतु तन मन धन से पार्टी/प्रत्याशियों के साथ लगे हुए है और भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे।

माननीय जी से अनुरोध है कि, शिक्षा के विकास एवं छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली बोर्ड की मान्यता को उ0प्र0 में यथावत बनाने रखने हेतु सचिव, माध्यमिक, शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाबाद को निर्देश देने की कृपा करे।

उपरोक्त के सन्दर्भ में कार्यवाही हेतु केन्द्रीय सूचनार्थ एवं प्रान्तीय मुख्यालय 655/21 बी अल्कापुरी (आर0के0 ट्रस्ट) कुर्सी रोड, लखनऊ को अवगत कराने की कृपा करे।

कृते सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

नोट:– मान्यता सम्बन्धी परिपत्रों की छात्राप्रति संलग्न है।

भवदीय

R. P. Singh

रवि प्रताप सिंह
चेयमैन
बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी ऐजूकेशन

راشٽريه سنڌي ٻولي وڪاس پريشد

राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद

National Council for Promotion of Sindhi Language

Ministry of Human Resource Development / मानव संसाधन विकास मंत्रालय

Government of India / भारत सरकार

West Block VIII, Wing No. 7, 1st Floor, R.K. Puram, New Delhi - 110066
Tel.: 011-26180104-07 Fax: 011-26180109
e-mail: ncpsl.delhi@gmail.com, www.ncpsl.gov.in

F.No.4-7/NCPSL/2012-13 Dated: 18th July 2012

To

The Director, Board of Higher Secondary Education,
Government Registered Head Office,
Rajputana Lal Bhawan, Gopalpur Gaon, (Timarpur),
Post-Azadpur, Delhi-110009
Ph.9953005036, 08171768817

Sub: Regarding registration of the organization named "Board of Higher Secondary Education" under the Scheme of Sindhi Language Learning Course (SLLC)

Sir,

Please refer to your letter No. B.H.S.E.D/109/012 dated 12.07.2012 regarding registration of the said organization under the scheme of Sindhi Language Learning Course (SLLC) of National Council for Promotion of Sindhi Language (NCPSL).

I am pleased to inform that your organization has been registered vide Regd. No.54/NCPSL-2006 under the scheme of SLLC of NCPSL. The list of students may please be sent by 25.07.2012.

माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

Yours faithfully

(Nirmal K. Goplani)
Director

COPY OF

No. F-46-1/66-E.V.
Government of India ,
Ministry of Education,
(department of Education)

New Delhi. dt. the 28th January 1964 .

From :

Sh.P.N. Bhir ,
Deputy Secretary tothe government of India .

To,

The Secretary ,
Board of Higher secondary education Delhi.
Head office Rajputana Lal Bhawan Gopalpur Gaon Delhi.

Subject : Recognition of High school (secondary) Higher secondary / senior secondary and Higher secondary Technical examination. Course issued by Board of Higher secondary educatio, Delhi.

Sir,

With reference to your letter no. B.H.S.E. Delhi-1828/ 63, dt. 28.10.1963 , I am directed to say that the High school (secondary) / Higher secondary / senior secondary and Higher secondary Technical examination one year and three years course awarded by a board and established by or under an Act. are automatically recognized for employment under Central/ state government / Union Territory Government/ Administrations and for education/ Higher education in Indian boards/ Universities, Board of Higher secondary Education, Delhi.

High School (Secondary) Higher secondary /senior Secondary and Higher Secondary Technical stand automatically recognized .

Yours Faithfully.

Sd/-

(P.N. Dhir)
Deputy Secretary.

OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR-I
OLD COURT, KASHMERE GATE, DELHI

NO.SR-I/K.Gate/ 09

Dated

CERTIFICATE

Certified that TRUST DEED, Board of Higher Secondary Education, Delhi, Head Office Rajputana Lal Bhawan, 17, Gopal Pur, Delhi-110009, Registration No. 275, Book No. IV, Volume No. 2586, On Pages 67 to 70, Dated 16/01/2009, was registered in this and prescribed by Mr. Ravi Pratap Singh S/o Sh. Amar Singh R/o H.No. 70, Gopal Pur, Delhi-110009.

प्रमाणित प्रति

2/6/09

(SUB-REGISTRAR-I)

सचिव
बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजूकेशन दिल्ली
BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI

स्थापित 19 अक्टूबर 1930

01791977

Board of Higher Secondary Education, Delhi

ADDITIONAL REPRESENTATION

[illegible stamp] - 4 MAR 2009

SERVICE MARK	:	"BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, DELHI" (LABEL MARK)
APPLICANT	:	Mr. RAVI PARTAP SINGH (Indian) (Chairman)
NATIONALITY	:	INDIAN
ADDRESS	:	BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, DELHI, GOVT. REGISTERED HEAD OFFICE, RAJPUTHANA LAL BHAWAN, BHAWAN NO-17, GOPALPUR GAON (TIMARPUR), AZADPUR, DELHI-110009
SERVICES	:	Educational Services
CLASS	:	41
DATE OF USE	:	1st Jan, 1930
TRADE DISCRIPTION	:	SERVICE PROVIDER
APPROPRIATE OFFICE	:	DELHI
ADDRESS FOR SERVICE	:	GOOD DEAL CONSULTANTS, 334 A/4, I ST FLOOR, GOVINDPURI, KALKAJI, NEW DELHI –110019

Dated this in the 3rd Day of March, 2009

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
Trade Mark Registry
नई दिल्ली
New Delhi

No. 46193 dated 17/3

[illegible]

The above [illegible] is allotted to your [illegible] correspondence [illegible] use word [illegible] or Letter 'R' till registration

SIGNATURE

(Adv. V. Rajesh)

17

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION
CONTROLLER GENERAL OF PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS
REGISTRY

13 May 2009

TRADE MARK APPLICATION STATUS FOR NO. :1791977

TRADE MARK

BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI

Application date: 04-MAR-09	Journal No.-Supp.	Status : New Application

Proprietor Details

Sr.No.	Proprietor name	Proprietor Address
1	MR. RAVI PARTAP SINGH	BOARD OF HIGER SECONDER EDCATION DELHI

Class Details

Sr No.	Class	Goods Description
1	41	EDUCATIONAL SERVICES.

Trade Mark Image :

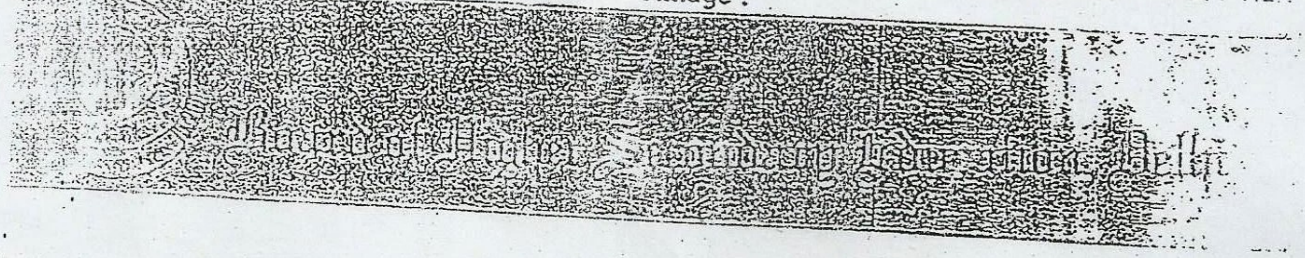

भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल

Council of Boards of School Education in India

6H BigJo's Tower, A-8 Netaji Subhash Place, Ring Road, Delhi-110034

Dr. Vineet Joshi, IAS
President
Off. (011) : 22467263

Prof. D.V. Sharma
General Secretary
Off. : (011) : 27351264
Res. (011) : 27311929

Ref. No.COBSE/C.69/2012

13 July 2012

The Secretary
Board of Higher Secondary Education, Delhi
Rajputana Lal Bhavan
Gopalpur, Timarpur, PO Azadpur
Delhi-110009.

Subject: Application for membership of COBSE

Sir,

This is to acknowledge receipt of your letter No. BHSE.Del/Reg.Adm./15/012 dated 01.05.2012 for grant of membership of Council of Boards of School Education in India (COBSE).

You are requested to furnish the following information to enable us to process your application:

1. Copy of Memo of Association/Trust Deed, Rules & Regulations of the Society
2. Complete postal address and email ID of the Board
3. Name of the Chairman/President, telephone numbers (office & residence), and fax number
4. Name of the Secretary with telephone numbers (office & residence)
5. Any other officer (viz. Director Academic, Controller of Exams) with telephone numbers
6. Name of the examinations conducted by the Board at secondary/and or secondary level
7. Details of other activities regarding development of curriculum, textbooks
8. System/norms of affiliating schools
9. Examination conducted this year and analysis of the results
10. Demand Draft for Rs.1,000/- drawn in favour of General Secretary, COBSE towards processing charges of the application.

Council of Boards of School Education in India (COBSE) grants membership to boards/institutions that are set up by an Act of Parliament or State Legislature or by an Executive Order of the Central/State government, and should be following the National Curriculum Framework, 2005/CBSE.

Kindly note that once membership is granted to your Board, you would be required to pay annual subscription of Rs.50,000/- subject to revision as decided by the General Body of COBSE.

Yours sincerely,

D.V. Sharma

(D.V. Sharma)
General Secretary

Council of Boards of School Education in India

6H BigJo's Tower, Netaji Subhash Place, Delhi-110034

Receipt No. 1484

Dated : 19-7-12

RECEIVED with thanks from Board of Higher Secondary Education, Delhi (Gopalpur) 110009

a sum of Rupees One thousand only

by Cash/Cheque/ Bank Draft No. Cash

drawn on — — dated —

as ~~Annual Subscription of COBSE~~ Application Money for Membership of COBSE

for the year — —

Rs. 1000-00

for General Secretary

KAPIL AGRAWAL & ASSOCIATES
(Chartered Accountants)
A Kapil Agrawal
(B.Com, ACA)

Ph.: 0565-2400634
Mob.9897107999

Date...17/07/2012

FORM NO. 10B

[See Rule 17B]

Audit Report under section 12A (b) of the Income-tax Act, 1961 in the case Of charitable or religious trusts or institutions

...have examined the balance sheet of **BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION DELHI ...at GOVT. REGISTERED HEAD OFFICE, RAJPUTHANA LAL BHAWAN, GOPALPUR ...AON (TIMARPUR), P.O. AZADPUR, DELHI- 110009, GOVT OF DELHI REGD. NO. 275, ...OVT OF INDIA T.M. NO. 1791977 & GOVT RECOGNIZED** and the Income & Expenditure ...Account for the year ended on 31st March 2012, which is in agreement with the books of account ...maintained by the said trust or institution at the office at Board Of Higher Secondary Education Delhi As ...Govt. Registered Head Office, Rajputhana Lal Bhawan, Gopalpur Gaon (Timarpur), P.O. Azadpur, ...hi- 110009.

...have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief ...necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by ... and the branches of the above-named trust/institution visited by us so far as appears from ...examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received ... visited by us. subject to the comments given below:

...ur opinion and to the best of our information. and according to information given to us the said ...ounts give a true and fair view: -

...ur opinion and to the best of our information, and according to information given to us the said ...ccounts give a true and fair view: -

i. In the case of the balance sheet of the state of affairs of the above-named trust/institution as at 31st March 2012 and
ii. In the case of the profit and loss account, of the Income & Expenditure Account of its accounting year ending on 31 March 2012.

...prescribed particulars are annexed hereto.

... 17/07/2012

... Mathura

Kapil Agrawal & Associates.
(Chartered Accountant)

Kapil Agrawal

(Proprietor)

F-½, Harsh Complex, Dampier Nagar, Mathura (U.P.) 281001
E-mail:kapilcamathura@gmail.com

सचिव, बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली

BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, DELHI

प्राधिकार से प्रकाशित

05 मार्च, 2014 ई0

सं0 बी0एच0एस0ई0दि0 / उ0प्र0 / अधिसूचना-52 / 2014—दिनांक 05 जनवरी, 2012 की हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली का रजिस्टर्ड कार्यालय गोपालपुर, दिल्ली एवं पूर्वत् कार्यालय कड़कडडूमा, दिल्ली किन्हीं कारणोवश बन्द होने के कारण वर्तमान में बोर्ड का केन्द्रीय एवं प्रान्तीय मुख्यालय अल्कापुरी (गायत्रीपुरम्), आर0 के0 ट्रस्ट, कुर्सी रोड, लखनऊ एवं उप कार्यालय पुराना किला लखनऊ में स्थापित कर दिया गया है। बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय अल्कापुरी, लखनऊ का उद्‌घाटन माननीय डा0 अशोक वाजपेयी पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्तमान में बोर्ड का संचालन अल्कापुरी, लखनऊ से ही किया जायेगा। यहीं से बोर्ड के छात्र छात्राओं की अंक सूची, प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जायेगा।

बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन दिल्ली की हायर सेकेण्डरी (दसवीं) सीनियर सेकेण्डरी (बारहवीं) एवं प्राविधिक परीक्षाओं को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय (शिक्षा विभाग), दिल्ली ने अपने पत्रांक संख्या एफ-46-1 / एस0यू0, दिनांक 28 जनवरी, 1964 में मान्यता प्रदान की और मान्यता परिपत्र सभी केन्द्र शासित प्रदेश / राज्य सरकारों को सूचना प्रेषित कर दी गयी। बोर्ड की परीक्षाएं अग्रिम शिक्षा में प्रवेश एवं सरकारी सेवाओं में मान्य किया है। सभी केन्द्र शासित प्रदेशों एवं राज्य सरकारों ने बोर्ड की परीक्षाओं को अपने बोर्ड / परिषद्, काउंसिल / विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने अपने पत्रांक संख्या 4-7 एन0सी0पी0एस0एल0 / 2012-13, दिनांक 18 जुलाई, 2012 में बोर्ड को सिंधी भाषा हेतु अधिकृत किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा को अपने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान की है और बोर्ड के छात्रों को परिषद् ने अपने विद्यालयों की ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश की पात्रता प्रदान की है और बोर्ड की सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा को भी राज्य सरकारों के परिषद् (बोर्ड) की बारहवीं परीक्षा के समकक्ष है। मान्यता का विवरण उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 के अध्याय चौदह के विनियम 2(29)38 में उल्लेखित है।

माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्री (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को बोर्ड की समकक्ष मान्यता एवं परिषद् के विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्देश किया है।

बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली प्रमाण-पत्रों की मान्यता अग्रिम शिक्षा में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों में सेवा से होगी। बोर्ड द्वारा सभी विषयों एवं भाषाओं में संस्थागत, व्यक्तिगत, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जायेगी। बोर्ड द्वारा हायर सेकेण्डरी (दसवीं) सीनियर सेकेण्डरी (बारहवीं) एवं प्राविधिक परीक्षाएं करायी जायेंगी। परीक्षाओं का प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा व बोर्ड द्वारा शिक्षा केन्द्र स्थापित व सम्बद्धता भी दी जायेगी। बोर्ड (संस्था) एक वैधानिक संस्था है। संस्था का संगठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत किया गया है और भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के तहत सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण, दिल्ली सरकार, कश्मीरीगेट से रजिस्टर्ड है। जिसका रजिस्ट्रेशन नं0-275 है।

बोर्ड का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 22, 28, 30 के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में हुआ है। संस्था सभी राज्य सरकार व प्रशासन के अधीन नहीं होगी। संस्था में अपने संविधान के नियम ही लागू होंगे। जिन्हें संशोधन करने का अधिकार संस्था, संस्थापक एवं मुख्य न्यासी / निदेशक (सर्वोच्च) एवं श्री रवि प्रताप सिंह, अध्यक्ष को ही है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश व जिला विद्यालय निरीक्षक या सरकार या सरकार का कोई अधिकारी / कर्मचारी संस्था बोर्ड के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोर्ड की 2014 की परीक्षाएं 24 मार्च, 2014 से प्रारम्भ होंगी और 03 अप्रैल, 2014 को समाप्त होंगी। सन् 2013 व 2014 की परीक्षाओं के परीक्षा नियंत्रक सुरेश पाल सिंह (एस0 पी0 सिंह) हैं। एस0 पी0 सिंह के हस्ताक्षरों से ही अंक सूची / प्रमाण-पत्र जारी हैं / होंगे। बोर्ड की वैधानिक वेबसाइट www.bhsedelhin.org है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल (कोबसे) दिल्ली को बोर्ड की सिफारिश भेज दी गयी है कि कोबसे, बोर्ड को अपना सदस्य बनायें जो सदस्यता शुल्क है बोर्ड से प्राप्त करें और सदस्यता सूची व दूरभाष पुस्तिका में बोर्ड का नाम सम्मिलित करें। संयुक्त सचिव (प्रशासनिक) द्वारा उक्त सूचना जारी की जाती है।

एस0 के0 सिंह,
उप सचिव (प्रशासनिक)।